भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †636

उत्तर देने की तारीख- 24/07/2023

ओडिशा में जनजातीय लोगों का विकास

†636. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के नबंरगपुर कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के जनजातीय बहुल क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए कोई योजना/योजनाएं कार्यान्वित की है;

(ख) यादि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ओडिशा के नबंरगपुर मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में पारंपारिक पद्धति को बढावा देने के लिए वर्तमान में क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(घ) सरकार द्वारा पारंपरिक पद्धतियों का आधुनिक पद्धतियों में समेकन करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (घ): ओडिशा के नबरंगपुर, कोरापुट और मल्कानगिरी जिलों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित देश में रहने वाले जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): यह योजना भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में जनजातीय एमएफपी एकत्रणकर्त्ताओं की आजीविका की सुरक्षा उपाय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना इन केंद्रों से जुड़े हुए जनजातीय लोगों की आय में संवर्धन स्केलअप के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के माध्यम से जनजातीय उपज के मूल्य-संवर्धक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान

करती है। वन धन विकास केंद्रों(वीडीवीके) का लक्ष्य जनजातीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल में प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धन को जोड़ना और उन्हें व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करना है। इसके अलावा, इस योजना में सूचीबद्ध जनजातीय (आदिवासी) कारीगरों के माध्यम से जनजातीय (आदिवासी) उत्पादों की खरीद और विपणन का भी प्रावधान है। ओडिशा राज्य में अब तक 50,094 लाभार्थियों से जुड़े 170 वीडीवीके, स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से नबरंगपुर में 3 (तीन) कोरापुट में 26, और ओडिशा के मल्कानगिरी जिले में 9 वीडीवीकेए स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी): यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है जो सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो ऋण योजना, एसटी उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सहायता योजना आदि योजनाओं के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार शुरू करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है। विभिन्न आजीविका सृजन संबधी कार्यों को शुरू करने के लिए ओडिशा राज्य में अब तक 72,351 लाभार्थियों को 8347.57 लाख रुपये की राशि के ऋण संवितरित किए गए हैं।

इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 'संविधान के अनुच्छेद 275(1)' और 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के तहत अनुदान' की योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। पिछले दो वर्षों में 'अनुच्छेद 275(1) योजना' के तहत ओडिशा को 215.33 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई हैं और ओडिशा को पीएमएएजीवाई योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 37.73 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, ओडिशा राज्य को मंत्रालय की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान 146.34 करोड़ रुपये और 389.76 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। ओडिशा के उपरोक्त तीन जिलों में ईएमआरएस का विवरण इस प्रकार है:

ज़िला	स्वीकृत ईएमआरएस	कुल नामांकन
कोरापुट	10	642
मलकानगिरी	5	429
नबरंगपुर	8	391

*****